



2026:AHC: 164369

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 8327/2025

मधु सरकार शर्मा

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

: अभिषेक सिंह, कृष्णा मणि

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: साधना दुबे, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 93

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान न्याय मित्र श्री अभिषेक सिंह, विपक्षी संख्या 2 की विद्वान अधिवक्ता सुश्री साधना दुबे और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यह आपराधिक अपील एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14(ए)(1) के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी अधिनियम, सोनभद्र द्वारा सत्र वाद संख्या 639 वर्ष 2025 (राज्य बनाम मधु सरकार शर्मा) में पारित संज्ञान/तलब करने के आदेश दिनांक 07-08-2025 तथा थाना-बिजपुर, जिला-सोनभद्र के मुकदमा अपराध संख्या 40 वर्ष 2025, धारा 352, 351(3) बी.एन.एस. और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(5ए), 3(1)(द), 3(1)(ध) के अंतर्गत आरोप-पत्र दिनांक 17-07-2025 को अपास्त करने के लिए दाखिल की गई है।
3. संक्षेप में, मुकदमा अपराध संख्या 40 वर्ष 2025 के रूप में धारा 105, 352, 351(3) बी.एन.एस. और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(वी), 3(1)(द), 3(1)(ध) के अंतर्गत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। अभियुक्त-याचिकाकर्ता मधु सरकार शर्मा के विरुद्ध आरोप

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



यह है कि वह एक निजी अस्पताल चला रहा है और जब सूचनादाता के पुत्र को गंभीर चोटें आईं, तो उसे याचिकाकर्ता के अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सीय उपचार और टीकाकरण प्रदान करने के दौरान, सूचनादाता के पुत्र के मुंह से झाग आने लगा। इसके पश्चात, उसकी मृत्यु हो गई। अस्पताल के अटेंडेंट, महेश कुमार शर्मा के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 98 वर्ष 2024 के रूप में एक अन्य आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है। यह आगे आरोप लगाया गया है कि मृतक को चिकित्सीय उपचार और टीकाकरण देने वाले अटेंडेंट महेश कुमार शर्मा के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 98 वर्ष 2024 में आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। जब सूचनादाता को इस बात की जानकारी मिली कि विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी द्वारा अभियुक्त-याचिकाकर्ता मधु सरकार शर्मा को पहले ही दोषमुक्त कर दिया गया है, तो मामला दर्ज करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष धारा 173(2) बी.एन.एस.एस. का प्रार्थना पत्र दिया गया। इसके पश्चात, यह मामला दर्ज किया गया। विवेचना के पश्चात, धारा 352, 351(3) बी.एन.एस. और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(5ए), 3(1)(द), 3(1)(ध) के अंतर्गत याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया है।

4. संक्षेप में, अपील के आधार यह हैं कि विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी अधिनियम, सोनभद्र द्वारा पारित आक्षेपित संज्ञान/तलब करने का आदेश दिनांक 07-08-2025 पूरी तरह से अवैध है और विधि की दृष्टि में कायम रहने योग्य नहीं है। आक्षेपित आदेश अनुमानों और अटकलों पर आधारित है और इसलिए इसे रद्द किए जाने योग्य है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद और ग्राम पंचायत बंदी के कारण याचिकाकर्ता को झूठा फंसाया गया है। किसी भी स्वतंत्र गवाह ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं किया है, और अभियोजन सामग्री उसके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रकट नहीं करती है। एफ.आई.आर. और विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री से, याचिकाकर्ता के विरुद्ध धारा 352, 351(3) बी.एन.एस. और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(5ए), 3(1)(द), 3(1)(ध) के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आरोप-पत्र और संज्ञान/तलब करने का आदेश अवैध, मनमाने और विधि के विपरीत हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता को तलब करने से पहले विशेष न्यायाधीश न्यायिक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मन का प्रयोग करने में विफल रहे। पर्याप्त सामग्री के अभाव में तलब करने का आदेश दिनांक 07.08.2025 कायम रखने योग्य नहीं है।

7. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अभिवेदन का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए गलत इलाज के कारण, विपक्षी संख्या 2 के पुत्र की मृत्यु हो गई है। विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सही ढंग से तलब किया है।

8. प्रथम सूचना रिपोर्ट और सूचनादाता के बयान में, यह कहा गया है कि सूचनादाता द्वारा अभियुक्त-याचिकाकर्ता के समक्ष शिकायत उठाए जाने पर, अभियुक्त-याचिकाकर्ता ने पीड़ित के विरुद्ध जातिसूचक अपशब्दों का प्रयोग किया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि टेलीफोन पर बातचीत के दौरान, धमकी और जातिसूचक अपशब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी कि टेलीफोन पर बातचीत के दौरान, ऐसा किया गया था। संज्ञान लेने के प्रक्रम पर 'मिनी-विचारण' आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

9. समग्रता में तथ्यों और परिस्थितियों, और अतिरिक्त रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा अपराध संख्या 98 वर्ष 2024 के रूप में एक आपराधिक वाद है, मेरी यह सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध संज्ञान लेने के लिए प्रासंगिक सामग्री उपलब्ध है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सही ढंग से संज्ञान लिया है।

10. तदनुसार यह आपराधिक अपील **खारिज** की जाती है।

11. पूर्व आदेश दिनांक 31.07.2026 के प्रकाश में, विद्वान न्याय मित्र श्री अभिषेक सिंह को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निधि से न्यायालय को मूल्यवान सहायता प्रदान करने के लिए 10,000/- रुपये का भुगतान किया जाए।

6 अगस्त, 2026

आशा

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”